इरेडा ने 4500 करोड़ रुपये की सोलर पीएलआई योजना के लिए बोलियां आमंत्रित की

सोलर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बड़ा बढ़ावा

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 30 जून

नई दिल्ली, 11 जून 2021

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा),जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत पीएसयू है, ने केंद्र सरकार के 4,500 करोड़ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत सौर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए सौर मॉड्यूल निर्माताओं से बोलियां आमंत्रित की हैं। एमएनआरई ने इस स्कीम के लिए इरेडा को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की योजना को पहले ही मंजूरी दी थी।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। सफल बोलीदाताओं के लिए चयन प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी की जानी है। इरेडा ने 25 मई को अपनी वेबसाइट पर आवेदन दस्तावेज के लिए आमंत्रण जारी किया था और इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया 31 मई को लाइव कर दी गई थी।

आवेदकों को इस योजना के तहत आवंटित पूरी क्षमता के लिए या तो ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता है। इस योजना के तहत आवेदकों को ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड सुविधा का मिश्रण स्थापित करने की अनुमति नहीं है। विनिर्माण क्षमता/इकाई, जिसके लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया है, इस पीएलआई योजना के तहत भागीदारी के लिए पात्र नहीं होंगे। स्थापित की जाने वाली निर्माण इकाई की न्यूनतम क्षमता 1,000 मेगावाट होगी। पीएलआई को सफल आवेदकों को सालाना पांच वर्षों की अवधि के लिए वितरित किया जाएगा।

वर्तमान में सौर क्षमता वृद्धि काफी हद तक आयातित सौर पीवी सेल और मॉड्यूल पर निर्भर करती है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास सौर पीवी सेल और मॉड्यूल की सीमित परिचालन क्षमता है। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में आयात करने की निर्भरता को कम करेगा और इस तरह आत्मनिर्भर भारत की पहल को सुदृढ़ करेगा।